ANNEXURE-VI

पत्रांक –10/न 4–20/2003 मा0........./- 432
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

शिव प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार
पटना ।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक 27/06/2006

विषयः– बिहार पब्लिक स्कूल, अहिरौली, बक्सर को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन सोसाईटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित ट्रस्ट "महर्षि विश्वामित्र डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट" पटना द्वारा किया जा रहा है । आवेदन के अनुसार ट्रस्ट में चार सदस्य है जो अलग अलग परिवार से आते है । यह भी बताया गया है कि एक परिवार का इस ट्रस्ट या एकाधिकार नही है । ट्रस्ट के सदस्यों की सूची दी गयी है । सदस्यों का पेशा व्यापार अथवा सामाजिक कार्य बताया गया है । व्यापार अथवा सामाजिक कार्य सामान्य शब्द है जिनसे वास्तविक पेशे की जानकारी नही होती है । विभागीय अधिसूचना के अनुसार सदस्यों के पेशा की सही सही जानकारी दिया जाना आवश्यक है । सदस्यों की सूची संलग्न है ।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी,/न्यास के फ्रेन्चाईजी का उपयोग तथा किसी अन्य विद्यालय के brand name का उपयोग नही करने का भी दावा किया है ।
3. आवेदन के अनुसार विद्यालय के पास 2 एकड़ 3.5 डिसमिल भूमि है जिसपर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के norms के अनुसार भवन एवं अन्य सुविधा उपलब्ध है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के निरीक्षण दल को विद्यालय का स्थल निरीक्षण कर आश्वस्त हो लेना होगा कि विद्यालय का भवन एवं अन्य सुविधाएँ उनके निर्धारित मानक के अनुरूप है ।
4. विद्यालय में 15 शिक्षक है, जिनमें 7 ही प्रशिक्षित है । शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्र में विज्ञापन निकाल कर एन0सी0टी0ई0 के मापदण्ड के अनुरूप करने का दावा किया गया है । लेकिन विद्यालय अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति से उक्त दावा पुष्ट नही होता है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली को आश्वस्त होना चाहिए कि शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के अनुसार पारदर्शिता के साथ वस्तुनिष्ठ तरीके से की जाती हो ।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है ।
6. विद्यालय द्वारा लिए जाने वाले ट्यूशन शुल्क एवं अन्य शुल्कों को प्रत्येक वर्ष सूचना पट पर चिपकाये जाने एवं अभिवावकों की बैठक में सार्वजनिक किये जाने की सहमति दी गयी है । पिछले वर्षो के लेखा की विवरणी भी [illegible] की गयी है । परन्तु इस विवरणी से विद्यालय के विभिन्न शुल्कों के दर [illegible]

Principal
BIHAR PUBLIC SCHOOL
Affiliated to C.B.S.E. Delhi
Affiliation No.-330267
School No.-59176
Ahirauli, Buxar Pin-802 101
Bihar Public School
Ahirauli, Buxar [illegible]

CHAIRMAN
Bihar Public School
Chairman
Bihar Public School
Ahirauli Buxar-802101

विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 236 दिनांक 03.04.2000 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है । अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष होंगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के०जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्ते सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तों के उल्लंधन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वर्णित शर्त्तो के आधार पर बिहार पब्लिक स्कूल, अहिरौली, बक्सर को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है ।

12. विद्यालय द्वारा प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि की छायाप्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन

ह०/–
(शिव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग

For Bihar Public School
Medha ajlg
CHAIRPERSON

ज्ञापांक –10/म 4–26/2003 मा०...432/–

पटना, दिनांक:– 27·6·06

प्रतिलिपि – प्राचार्य, बिहार पब्लिक स्कूल, अहिरौली, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

27·6·06
(शिव प्रसाद)

Brij B Pandey K.N. Pandey
Principal

BIHAR PUBLIC SCHOOL
Affiliated to C.B.S.E. Delhi
Affiliation No.:-330267
School No.:- 65248
Ahirouli, Buxar, Pin Code-802116